न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

सुल्तान अहमद व **उस्मान बनाम उ0प्र0 राज्य**

CNR No.UPBJ0100-5227-2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1876/2026

तथा

इस्तखार बनाम उ0प्र0 राज्य

CNR No.UPBJ0100-5238-2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1892/2026

दिनांकः–16–06–2026

आदेश

उपरोक्त वर्णित दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या–39/2026 से संबंधित है। सुविधा की दृष्टि से दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सुल्तान अहमद, उस्मान** व **इस्तखार** की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–39/2026, धारा–305(डी) बी0एन0एस0, थाना–नांगल, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उपरोक्त मामले में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है तथा प्रार्थीगण का नाम सहअभियुक्तगण के कहने पर आया है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मोहम्मद आरिफ द्वारा दिनांक 30–03–2026 को समय 11:11 बजे अज्ञात में तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर धारा–305(डी) बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर दिनाँक 30.03.2026 की बीती रात्रि को मस्जिद में रखी गुल्लक/दान पात्र से लगभग 40 से 50 हजार रुपये चोरी करने का आरोप है।

अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्तगण का नाम सहअभियुक्त के बताने के आधार पर प्रकाश में आया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्तगण पर आरोपित उपरोक्त अपराध में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त अब्दुल्ला का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये विधिक सिद्धांतों के

प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेंगे।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण–अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

उपरोक्त आदेश की एक सत्यापित प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1892/2026, इस्तखार बनाम सरकार पर रखी जाए।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।
16.06.2026

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.16 16:51:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court